

# GOOD YEAR

## गुडय्यर इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L25111HR1961PLC008578

पंजीकृत कार्यालय: मधुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद) -121004, हरियाणा, भारत

टेलीफोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310

ई-मेल: [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com), वेबसाइट: [www.goodyear.co.in](http://www.goodyear.co.in)

### नोटिस

- सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) के 29 और 47 के विनियम, 2015 (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के लिए सूचना एतद् द्वारा दी जाती है कि गुडय्यर इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 4 सितंबर 2020 को होगी, अन्य बातों के साथ:  
(क) 30 जून, 2020 की तिमाही समाप्ति के लिए कंपनी के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार अनुमोदन की जाएगी। ; एवं  
(ख) कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, पर विचार करना।
- कृपया ध्यान दें कि अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 4, सितंबर 2020 को होने वाली उनकी बैठक में घोषित किया गया हो, के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के उद्देश्य से 14 सितंबर, 2020 को रिकॉर्ड तिथि (अभिलिखित तारीख) के रूप में तय किया गया है।
- लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिकार-पत्र रजिस्टर करने का तरीका:  
(क) फिजीकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम के द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार-पत्र में संशोधन या बदलाव नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पूरा विवरण कंपनी को भेजकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैकेट से अवगत कराएं। कंपनी का ईमेल है- [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com) या आरटीएस [srikant@skylinerta.com](mailto:srikant@skylinerta.com) पर करें।  
(ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैकेट में सुधार करें।
- वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से, लाभांश की आय पर टैक्स कट कर सदस्यों को मिलेगा। और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश से स्रोत (टीडीएस) पर कर में कटौती करेगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त अधिनियम 2020 और इसमें संशोधन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पैन नंबर के बारे में, अगर कोई संशोधन है, तो कंपनी को इसकी सूचना दें या उसकी आरटीएस को (फिजिकल शेयरों के मामले में)। आप इस पते पर ईमेल भेज सकते हैं- [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com) या [srikant@skylinerta.com](mailto:srikant@skylinerta.com) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट शेयरों के मामले में)।
- बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण, कंपनी किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने में असमर्थ होती है, तो कंपनी ऐसे शेयर धारक को ब्याक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।
- सेबी द्वारा जारी आदेश-पत्र के अनुसार, वे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपने शेयरों को डी-मैटीयलाइज़ नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसा कर लें और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपना शेयर सर्टिफिकेट भेजें, जिसके साथ उन्होंने कंपनी के आरटीएस में डी-मैटीयलाइज़ेशन खाता खोला है।
- इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट [www.goodyear.co.in/investor-relations](http://www.goodyear.co.in/investor-relations) के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

गुडय्यर इंडिया लिमिटेड के लिए

सोनाली खन्ना

हेड लीगल, अनुपालन एवं कंपनी सचिव

दिनांक: 27 अगस्त, 2020

स्थान: नई दिल्ली

जनसत्ता Fri, 28 August 2020

<https://epaper.jansatta.com/c/54542713>

